

फर्द अहकाम

दिनांक

बनाम चूना ली

पालय- न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, शाहपुर (जयपुर)

या 239/2 फाइल नं. 4/12-दा

दिनांक आता या कार्यावाही	आता विस्तृत रूप में	विशेष विवरण
27/17	<p style="text-align: center;">✓</p> <p>अज्ञातस्थिति में 31-3-17</p> <p style="text-align: center;">४</p>	
31-3-17	<p style="text-align: center;">✓</p> <p>अज्ञातस्थिति में 31-3-17</p> <p style="text-align: center;">४</p>	
1-5-18	<p style="text-align: center;">✓</p> <p>अज्ञातस्थिति में 9-5-18</p> <p style="text-align: center;">४</p>	
9/5	<p>पञ्जाबी राज्य लोक कदालतवादा इतमके काद केस हनुवत रा के पेश हुई परकसाक उप नरी। पञ्जाबी का कदालतवादा विधि (विधि) के अन्तर्गत में नर 4/02 मा भागल अज्ञातस्थिति में जाइवाक वगैरे चूना चोरे विचाराधीन रखेहुए उनके विधि के विरुद्ध मा. उच्च न्यायालय में जेरफार है ऐला उच्च न्यायालय की कमेडी के डि 98-0 में कंसेल है। उक्त डिणक 98-0 के अन्तर्गत पञ्जाबी अज्ञातस्थिति मा. उच्च न्यायालय लाइने पाली भावनी है एउ पञ्जाबी के कोर्ट कार्यवाही नही हो रही है। ऐसी स्थिति में मा. उच्च न्यायालय को मा. उच्च न्यायालय के विधि तक स्टे किया जाय उचित सुझाव है। मा. उच्च न्यायालय के विधि परधान पञ्जाबी उक्त सुवार्ड डेड विधि की जायेगी। अतः दादा पञ्जाबी की कार्यवाही मा. उच्च न्यायालय के विधि तक स्टे की जायेगी। पञ्जाबी अज्ञातस्थिति मा. उच्च न्यायालय के विधि परधान पञ्जाबी उक्त सुवार्ड डेड विधि को जाये। नर एक पञ्जाबी जाइव ठहर रहे।</p>	

F.D. 02
22-5-18

सहायक कलेक्टर एवं
न्यायालय मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
शाहपुर जिला-जयपुर (राज.)